

(3)

4

112


न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश,
सर्किट कोर्ट रीवा (म.प्र.)

Rs. 20/-



R - 2253 - ४१५

1. बेवा कौशिल्या पत्नी श्याम सुन्दर सिंगरहा,
2. नोखेलाल तनय श्याम सुन्दर सिंगरहा,
3. कोमल तनय श्याम सुन्दर सिंगरहा,
4. विजेन्द्र तनय श्याम सुन्दर सिंगरहा,
5. गणेश तनय बीरवली,
6. बुद्धसेन तनय बीरवली,
7. रामलखन तनय बीरवली,
8. उमेश तनय बीरवली,
9. फूलचन्द्र तनय बीरवली,
10. डब्बू तनय बीरवली,



जी. शिल्पकार्यालय, निर्माण
आज क्रमांक १५२७-१५४ के सभी निवासी ग्राम उमरी, तहसील गुढ़, जिला रीवा, (म.प्र.)
किया गया।

रीवा
सर्किट कोर्ट रीवा

..... आवेदकगण / निगरानीकर्तागण
बनाम

सुन्दरिया पुत्री श्री रुक्का, पत्नी स्व. रामकृष्णपाल सिंगरहा, निवासी ग्राम उमरी, तहसील गुढ़, जिला रीवा, (म.प्र.)

..... अनावेदक / गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय
अधिकारी महोदय, तह. गुढ़, जिला रीवा, (म.प्र.)
के प्रकरण क्रमांक 16 / अ-6 / 2010-11 आदेश
दिनांक 05.06.2014

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व
संहिता 1959 इस्वीं।

21.7.14

श. कृष्णनगर
15/7/14

(4)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 2253-III / 2014

जिला—रीवा

मुस0 कौशिल्या सिगरहा/सुन्दरिया सिगरहा

(1)	(2)	(3)
24.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार निगम उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील गुढ़ के प्रकरण क्रमांक 16/अ-6/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 05.06.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">MM</p>	



(बी.एम.सिंह),
सदस्य

